क्रम-संख्या-93(ङ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अप्रैल, 2006
चैत्र 23, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

संख्या 528/43-2-2006

लखनऊ, 13 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

प० आ०-176

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-इस नियमावली में:-

परिभाषायें

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) से है।

(ख) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(ग) अन्य समस्त शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हों किन्तु परिभाषित न हो और अधिनियम में परिभाषित हों, का अर्थ वहीं होगा जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित हो।

सूचना प्राप्त करने का अनुरोध

3–कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन विहित किसी सूचना के निमित्त पहुँ रखना चाहता हो, अपने सम्पर्क दूरभाष संख्या, यदि कोई हो, निरीक्षण हेतु विहित फीस के भुगतान का प्रमाण या गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का अपने सदस्य होने का प्रमाण सहित आवेदक का नाम और पता तथा सूचना का विवरण जिसके लिए वह पहुँच बनाना चाहता हो, का उल्लेख करते हुए संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी या राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा।

4–उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा दस रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जायेगा।

5–उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा :–

(क) सृजित या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए–4 या ए–3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये;

(ख) बृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य;

(ग) नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य, और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य;

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए दस रुपये का शुल्क, और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पांच रुपये का शुल्क।

6–धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा :–

(क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रुपये, और

(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।

7–मानचित्र और रेखाचित्रों आदि के मामले में श्रम और सामग्री में लगाये जाने में अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक मामले में शुल्क संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा।

8–उक्त शुल्क की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायेगी :–

"0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60–अन्य सेवायें, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 11,–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क"।

आज्ञा से,

गिरिराज प्रसाद वर्मा,

प्रमुख सचिव।

क्र0सं0—265 (क-3)

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 नवम्बर, 2006
अग्रहायण 6, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2

संख्या 1900/43-2—2006-15-2(2)-03 (टी०सी०)-14

लखनऊ, 27 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

प०आ०—3340

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 4, 5 तथा 6 का संशोधन

2—(1) उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006 के नियम 4, 5, तथा 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगाए अर्थात्:—

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4–उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा दस रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा।	4–उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा दस रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा।
5–उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा :–	5–उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा :–
(क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये,	(क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये,
(ख) बृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य,	(ख) बृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य,
(ग) नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य,	(ग) नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य,
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टे के लिए दस रुपये का शुल्क और तत्पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रुपये का शुल्क।	(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टे के लिए दस रुपये का शुल्क और तत्पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रुपये का शुल्क।
6– धारा-7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा:–	6– धारा-7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा:–
(क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पेक्ट डिस्क पचास रुपये, और	(क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गयी सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पेक्ट डिस्क पचास रुपये, और
(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।	(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।

आज्ञा से,
बी०एम० मीना,
सचिव।

क्रम-संख्या—265(क-6)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 नवम्बर, 2006

अग्रहायण 6, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

संख्या 1724/43-2–2006-15/2(2)-03 टी०सी०19
लखनऊ, 27 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

प०आ०–3360

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) और (च) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से है;

(ग) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(घ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किये गये हैं।

अपील की विषय-वस्तु

3–आयोग में की गयी अपील में निम्नलिखित सूचना समाविष्ट होगी, अर्थात्

(क) अपीलार्थी का नाम और पता

(ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिसके विनिश्चय के विरूद्ध अपील की गयी है; का नाम और पता;

(ग) उस आदेश का संख्या सहित, यदि कोई हो, विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गयी है;

(घ) संक्षिप्त तथ्य, जिनके कारण अपील की गयी;

(ङ) यदि अपील समझी गयी नामंजूरी के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हो तो संख्या और दिनांक सहित आवेदन-पत्र का विवरण और उस राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिसको आवेदन किया था, का नाम और पता;

(च) प्रार्थना या मांगी गई राहत;

(छ) प्रार्थना या राहत के आधार;

(ज) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; और

(झ) कोई अन्य सूचना जिसे आयोग अपील के विनिश्चय के लिए आवश्यक समझे।

अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

4–आयोग को दायर की गयी प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे, अर्थात्:–

(क) आदेशों या दस्तावेजों, जिनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, की स्व-प्रमाणित प्रतियॉं;

(ख) उन दस्तावेजों की प्रतियाँ जिन पर अपीलार्थी निर्भर है और जो अपील में निर्दिष्ट की गयी है; और

(ग) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुक्रमणिका;

अपील की विनिश्चय प्रक्रिया

5–अपील का विनिश्चय करने में आयोग–

(क) सम्बन्धित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथ-पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य की सुनवाई कर सकता है;

(ख) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकता है;

(ग) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अग्रतर ब्यौरों और तथ्यों की जांच कर सकता है;

(घ) यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी या ऐसे ज्येष्ठ अधिकारी जिसने पहली अपील का विनिश्चय किया हो या ऐसे व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो, की सुनवाई कर सकता है;

(ङ) तृतीय पक्ष की सुनवाई कर सकता है; और

(च) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, ऐसा ज्येष्ठ अधिकारी जिसने पहली अपील का विनिश्चय किया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो, या तृतीय पक्ष से शपथ-पत्रों पर साक्ष्य स्वीकार कर सकता है।

आयोग द्वारा सूचना की तामील

6–आयोग द्वारा जारी की जाने वाली सूचना की तामील निम्नलिखित किसी भी रीति में की जा सकती है, अर्थात्:–

(क) पक्ष द्वारा स्वयं तामील कराकर;

(ख) राज्य/जिला प्रशासन के प्रक्रिया तामीलकर्ता के माध्यम से हस्त (दस्ती) परिदान द्वारा;

(ग) पावती देय सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या

(घ) सम्बन्धित कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष द्वारा।

अपीलार्थी या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति

7–(1) यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को प्रत्येक दशा में सुनवाई के दिनांक से कम से कम सात स्पष्ट दिन पूर्व सुनवाई के दिनांक के संबंध में सूचित किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता आयोग द्वारा अपील या शिकायत की सुनवाई के समय अपने विवेक पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो सकता है या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकता है।

(3) जहाँ आयोग का यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण, यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने में रूकावट उत्पन्न हो रही है, तो आयोग, यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को अन्तिम विनिश्चय लेने के पूर्व सुनवाई का एक और अवसर प्रदान कर सकता है या कोई और उचित कार्यवाही, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है।

(4) यथास्थिति, अपीलार्थी या शिकायतकर्ता अपील की प्रक्रिया में अपना बिन्दु प्रस्तुत करते समय किसी व्यक्ति की सहायता ले सकता है और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का विधि व्यवसायी होना आवश्यक नहीं है।

आयोग का आदेश

8–आयोग का आदेश खुली कार्यवाही में सुनाया जाएगा और वह लिखित रूप में होगा जो रजिस्ट्रार या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होगा।

आज्ञा से,
बी० एम० मीना,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constituion of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1724/XLIII-2–2006-15/2(2)/03T.C.19 dated November 27, 2006:–

No. 1724/XLIII-2–2006-15/2(2)/03T.C.19
Dated Lucknow, November 27, 2006

In exercise of the powers under clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Act no. 22 of 2005), the Governor is pleased to make the following rules:–

THE UTTAR PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION (APPEAL PROCEDURE) RULES, 2006

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2006.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires:–

(a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005;

(b) 'Commission' means the Uttar Pradesh Information Commission;

(c) 'Section' means the section of the Act;

(d) The words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Contents of appeal

3. An appeal to the Commissions shall contain the following information, namely:–

(a) name and address of the appellant;

(b) name and address of the State Public Information Officer against the decision of whom the appeal is preferred;

(c) particulars of the order including number, if any, against which the appeal is preferred;

(d) brief facts leading to the appeal ;

(e) if the appeal is preferred against deemed refusal, the particulars of the application, including number and date and name and address of the State Public Information Officer to whom the applicaion was made;

(f) prayer or relief sought;

(g) grounds for the prayer or relief;

(h) verification by the appellant, and;

(i) any other information which the Commission may deem necessary for deciding the appeal.

Documents accompany appeal

4. Every appeal made to the Commission shall be accompanied by the following documents *namely*:–

(a) self-attested copies of the orders or documents against which the appeal is being preferred;

(b) copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal, and

(c) an index of the documents referred to in the appeal.

Procedure in deciding appeal

5. In deciding the appeal the Commission may:–

(a) hear oral or written evidence on oath or on *affidavit* from concerned or interested person;

(b) persue or inspect documents, public records or copies thereof;

(c) inquire through authorised officer further details or facts;

(d) hear State Public Information Officer, State Assistant Public Information Officer or such Senior Officer who decided the first appeal, or such person against whom the complaint is made, as the case may be.

(e) hear third party; and

(f) receive evidence on *affidavits* from State Public Information Officer, State Assistant Public Information Officer, such Senior Officer who decided the first appeal, such person against whom the complaint lies or the third party.

Service of notice by Commission

6. Notice to be issued by the Commission may be served in any of the following modes, namely:–

(a) service by the party itself;

(b) by hand delivery (dasti) through Process Server of the State/district Administration;

(c) by registered post with acknowledge due, or;

(d) through Head of office or Department concerned.

Personal presence of the appellant or complainant

7. (1) The appellant or the complianant, as the case may be, shall in every case be informed of the date of hearing at least seven clear days before that date.

(2) The appellant or the complainant, as the case may be, may at his discretion at the time of hearing of the appeal or complaint by the Commission be present in person or through his duly authorised representative or may opt not to be present.

(3) Where the Commission is satisified that the circumstances exist due to which the appellant or the complainant as the case may be, is being prevented from attending the hearing of the Commisison, then, the Commission may afford the appellant or the complainant, as the case may be, another opportunity of being heard before a final decision is taken or take any other appropriate action as it may deem fit.

(4) The appellant or the complainant, as the case may be, may seek the assistance of any person in the process of the appeal while presenting his points and the person representing him may not be a legal practitioner.

Order of the Commission

8. Order of the commission shall be pronounced in upon proceedings and be in writing duly authenticated by the Registrar or any other officer authorised by the Commission for this purpose.

By order,

B. M. MEENA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3385 राजपत्र (हि०)–2006–(7161)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा० प्रशा०–2006–(7162)–2000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।